वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषकः—
विपिन चन्द्र अस्थाना,
सचिव, खेलकूद परिषद
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर (उ0प्र0),मो0 न0 9415840139

website : vbspu.ac.in
Fax : 05452-252244
Email: sportsvbspu@gmail.com

पत्रांकः /क्रीड़ा/2016 दिनांक—26.08.2016

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः— सत्र 2016—2017 की अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं का आवंटन, प्रतियोगिता सम्पन्न कराने एवं प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की नियमावली तथा अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

खेलकूद परिषद की वार्षिक बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार सत्र 2016—2017 की क्रीड़ा सम्बन्धी कार्यवाही करने का कष्ट करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि संलग्न निर्देशों, नियमों एवं मानकों के अनुसार ही अपने महाविद्यालय की टीमों को अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजें तथा क्रीड़ा परिषद का वार्षिक क्रीड़ा शुल्क रूपया 40.00 प्रति छात्र की दर से खाता संख्या—0100000794, वित्त अधिकारी, खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट/आर. टी. जी. एस. के माध्यम से परीक्षा फार्म के साथ अलग से भजने का कष्ट करें, अन्यथा आपके महाविद्यालय की टीम प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रह जायेगी, जिसका उत्तरदायी महाविद्यालय स्वयं होगा।

अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता सम्पन्न कराने हेतु जिन महाविद्यालयों को प्रतियोगिता आवंटित की गयी है, उन महाविद्यालयों के आयोजक सचिव/ प्राचार्य से विशेष अनुरोध है कि प्रतियोगिता की वार्षिक कैलेण्डर में निर्धारित तिथि पर ही सम्पन्न कराने की व्यवस्था करें, जिससे अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय की टीम का चयन करके समय से भेजा जा सके। यदि आपके महाविद्यालय द्वारा आवंटित अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता को सम्पन्न नहीं करायी जाती है तो अगले वर्ष आपके महाविद्यालय को किसी भी प्रतियोगिता का आवंटन नहीं किया जायेगा।

समस्त सम्बन्धित प्राचार्य से अनुरोध है कि यदि सत्र 2017—2018 की अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता का आयोजन (पुरूष एवं महिला) अपने महाविद्यालय में कराना चाहते हैं तो दिनांक 30 जून, 2017 तक वरीयता के आधार पर किन्हीं दो प्रतियोगिताओं का माँग पत्र जो आपके महाविद्यालय में सम्पन्न करायी जा सकती है, को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त कराने का कष्ट करें।

सहयोग हेतु अग्रिम आभार सहित।

संलग्नक— 1. वार्षिक खेलकूद कैलेण्डर, 2. प्रतियोगिता संबंधी नियम एवं निर्देश
3. अर्हता सम्बन्धी मानक 4. इलिजिबिलटी प्रोफार्मा
5. ए. आई. यू. द्वारा प्रेषित इलिजिबिलटी रूल्स।

भवदीय,

सचिव
खेलकूद परिषद

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त पर्यवेक्षक।
3. सहायक कुलसचिव, परीक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

समस्त विभागाध्यक्ष, परिसर में संचालित पाठ्यक्रम।

सचिव
खेलकूद परिषद

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

अन्तर महाविद्यालयीय एवं अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता से सम्बन्धित नियमावली एवं निर्देश–

(क) आयोजन सचिव :

(1) अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता आयोजित कराने की तिथि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित खेलकूद कैलेण्डर के अनुरूप समस्त महाविद्यालयों को 10 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक होगा।

(2) प्रतियोगिता आयोजन समाप्ति की तिथि के 15 दिन के अन्दर भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व प्रेषित पोफार्मा पर सचिव, खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को भेजा जाय, तत्पश्चात प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में आपके महाविद्यालय को कोई भी अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता आवंटित नही की जायेगी।

(3) प्रतियोगिता आयाजन तिथि की सूचना निम्न के पास भेजी जाय–
क–सचिव, खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
ख–सम्बन्धित प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक।
ग–समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वाचंल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

(4) आयोजन सचिव को प्रतिभागी खिलाडियों के निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की जाँच करनी होगी–
क–प्रत्येक खिलाड़ियों का इलिजिविल्टी फार्म।
ख–प्रत्येक खिलाड़ी के वर्तमान सत्र का परिचय–पत्र, सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
ग–विश्वविद्यालय टीम के चयनित खिलाड़ियों के हाइस्कूल एवं इण्टर का मूल प्रमाणपत्र या मूल अंकपत्र से आयु तथा उसको खेलने की अवधि की जाँच करना आवश्यक है।
घ–जिन छात्रों का परीक्षाफल अनुचित साधन के प्रयोगों से या किन्हीं कारण वश रूका हो ऐसे खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। परीक्षाफल घोषित हो जाने के बाद पुनः प्रवेश लिये बिना छात्र नहीं खेल सकता।

(5) ऐसे महाविद्यालय जिसका वार्षिक क्रीड़ा शुल्क सत्र 2015–2016 तक का विश्वविद्यालय क्रीड़ा कोष में जमा नहीं है उन महाविद्यालयों की टीम किसी भी दशा में प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगी।

(6) विश्वविद्यालय की चयनित टीम के समस्त खिलाड़ियों जो स्नातक कक्षा में हों की इलिजिविल्टी फार्म के साथ 10+2 एवं जो परा स्नातक कक्षा में हों 10+2 तथा स्नातक अन्तिम वर्ष की छायाप्रति संलग्न कर सचिव, खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(7) विश्वविद्यालय की चयनित टीम की सूची एवं सम्बन्धित खिलाड़ी के इलिजिविल्टी फार्म पर पर्यवेक्षकों का हस्ताक्षर कराकर सचिव, खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर या परिषद के कर्मचारियों को जो प्रतियागिता स्थल पर उपलब्ध हों को प्रतियोगिता समाप्ति के दिन ही उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(8) आयोजक महाविद्यालय को पर्यवेक्षक, टीम मैनेजर तथा खिलाड़ियों हेतु उचित आवासीय व्यवस्था प्रदान करना होगा।

(ख) महाविद्यालयों के प्राचार्यों हेतु :

(1) महाविद्यालय के अभिलेख से यह सुनिश्चित किया जाय कि विश्वविद्यालय का वार्षिक क्रीड़ा शुल्क महाविद्यालय द्वारा जमा किया गया है यदि नहीं जमा किया गया है तो वार्षिक क्रीड़ा शुल्क जमा किया जाय। अन्यथा महाविद्यालय की टीम प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती है।

(2) महाविद्यालय टीम को प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भेजना।

(3) महाविद्यालय की टीम के खिलाड़ियों के वर्तमान सत्र का परिचय–पत्र एवं इलिजिविल्टी फार्म के फोटो को प्रमाणित करना आवश्यक है तथा फोटो पर हस्ताक्षर स्पष्ट किया जाय।

(4) टीम के साथ टीम मैनेजर को भेजना।

(5) विश्वविद्यालय की टीम में चयनित खिलाड़ियों को कालेज से विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से कालेज तक का यात्रा–भत्ता महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

(6) अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त खिलाडियों की महाविद्यालयवार सूची (नाम,पिता का नाम, माता का नाम एवं कक्षा) विश्वविद्यालय के खेलकूद परिषद को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(7) अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता सम्पन्न कराये जाने हेतु दी गई अनुदान की धनराशि का समायोजन/उपभोग प्रमाण पत्र प्रतियोगता सम्पन्न होने के 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अगले सत्र में आपके महाविद्यालय को कोई भी प्रतियोगिता आंवटित नहीं की जायेगी।

(ग) विश्वविद्यालय टीम मैनेजर एवं कोच के लिए निर्देश :

(1) अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर मे उपस्थित होकर चेक, परिधान तथा अन्य आवश्यक प्रपत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

(2) विश्वविद्यालय टीम के खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय द्वारा दैनिक भत्ता (रू0 500.00 प्रतिदिन) मार्ग व्यय एवं रू0 100/–प्रति खिलाडी आनुशांगिक व्यय आदि का भुगतान नियमानुसार किया जाना है।

(3) अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के आयोजन सचिव से प्रतियोगिता स्थल पर पहुँचने तथा छोड़ने का प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी टीम को अपना अन्तिम मैच खेलने के उपरान्त 24 घण्टे के भीतर स्थान छोड़ देना अति आवश्यक होगा। टीम प्रबन्धकों द्वारा समायोजन के साथ प्रतियोगिताओं की टाई सीट एवं पहुँचने तथा छोड़ने का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना टाई सीट के समायोजन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(4) अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में प्रत्येक मैच के उपरान्त रू0 25/– प्रति मैच प्रति खिलाड़ी की दर से जलपान हेतु भुगतान करना होगा।

(5) प्रतियोगिता समाप्ति के 15 दिन के अन्दर अपना तथा खिलाड़ियों के लिए ली गई अग्रिम धनराशि का समायोजन हेतु देयक प्राप्त कराना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में अगली प्रतियोगिता हेतु अग्रिम धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(6) विश्वविद्यालय की टीम अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु जाने के लिए टीम के सभी सदस्य (खिलाड़ी) एवं टीम प्रबन्धक तथा टीम कोच विश्वविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराकर गंतव्य स्थान के लिए विश्वविद्यालय परिसर से ही प्रस्थान करेंगें।

(घ) पर्यवेक्षक के लिएः (पर्यवेक्षक के कार्य)

(1) आयोजक महाविद्यालय के प्राचाय से प्रतियोगिता प्रारम्भ होने की तिथि ज्ञात करना।
(2) विश्वविद्यालय की टीम का नियमानुसार चयन करना।
(3) चयनित खिलाड़ियों की सूची एवं इलिजिविल्टी फार्म पर पता सहित हस्ताक्षर करना।
(4) आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य से पर्यवेक्षण कार्य के सम्पादन का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर यात्रा एवं दैनिक भत्ता तथा पारिश्रमिक देयक के साथ संलग्न कर भुगतान हेतु खेलकूद परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पास भेजा जाय।
(5) कोई भी व्यक्ति एक साथ टीम प्रबन्धक/पर्यवेक्षक/चयनकर्ता, कोच निर्णायक (रेफरी) आदि का उत्तरदायित्व नहीं वहन कर सकता। एक समय में मात्र उपरोक्त में से किसी एक कार्य का उत्तरदायित्व ही सौंपा जायेगा जिसका वह पात्र होगा।

अन्तर महाविद्यालयीय एवं अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं हेतु सामान्य नियम :

(1) जिन खिलाड़ियों के पास वर्तमान सत्र का प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित परिचय पत्र तथा इलिजिविल्टी फार्म नहीं है। उस खिलाड़ी को आयोजन सचिव द्वारा किसी भी दशा में प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। परिचय पत्र तथा इलिजिविल्टी फार्म के फोटो पर केवल प्राचार्य का ही हस्ताक्षर एवं सील मान्य होगा। अन्य किसी अधिकारी का नहीं।
(2) जिस महाविद्यालय के खिलाड़ी के पास हाईस्कूल एवं इण्टर का मूल अंक पत्र या प्रमाण नहीं है उस खिलाड़ी को प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। किसी भी दशा में फोटो स्टेट कापी मान्य नहीं होगी।
(3) एथलेटिक, पुरूष एवं महिला , भारोत्तोलन (पु0एवं म0), जूडो , ताइक्वाण्डो एवं पावर लिफ्टिंग टीम का चयन मानक एवं वजन भार वर्ग के आधार पर होगा। मानक एवं भारवर्ग पत्र के साथ संलग्न है।
(4) कुश्ती (पुरूष/महिला) प्रतियोगिता में अपने वर्ग (कटेगरी) में प्रथम आने वाले खिलाडी का चयन होगा।
(5) बैडमिण्टन एवं टेबुल टेनिस प्रतियोगिता में पर्यवेक्षकगण एवं आयोजन सचिव द्वारा चुनी गई टीम के घोषणा करने के 20 मिनट के अन्दर ऐसे प्रतिभागी जो कि उक्त चल रही प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और पराजित होकर बाहर हो गये हैं उनको रू0 100.00 शुल्क तथा आवेदन पत्र जो कि आयोजन सचिव को सम्बाधित होगा, उन्हें चयनित टीम के किसी भी एक खिलाड़ी को चैलेन्ज करने का अधिकार होगा और यदि चैलेन्ज कर्ता चयनित टीम के खिलाड़ी जिसको उसने चैलेन्ज किया था हरा देता है तो हारने वाला टीम से बाहर हो जायेगा और चैलेन्जकर्ता टीम में सम्मिलित हो जायेगा। पूर्व से टीम में चयनित सदस्य जो चैलेन्जकर्ता से हार कर टीम से बाहर हो चुका है उपरोक्त रू0 50.00 तथा आवेदन के साथ वर्तमान चयनित टीम के किसी एक खिलाड़ी को चैलेन्ज कर सकता है। किसी भी दशा में एक से अधिक बार किसी को चैलेन्ज करने का अधिकार नहीं होगा। पर्यवेक्षको का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे आयोजन सचिव के सहयोग से प्रतियोगिता के प्रारम्भ होने के पूर्व दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पात्रता प्रमाण–पत्र, परिचय पत्र, तथा हाईस्कूल/समकक्ष, इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा के मूल प्रमाणपत्र की जाँच करेंगे।
(6) किसी अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में महिलाओं की कम से कम तीन टीमें तथा पुरूषों की कम से कम चार टीमें भाग लेगी तभी वह प्रतियोगिता मान्य होगी।
(7) चयनित खिलाड़ी की इलिजिविल्टी पर आयोजन सचिव तथा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं यदि इनमें से किसी का हस्ताक्षर चयनित खिलाड़ी की इलिजिविल्टी पर नहीं हैं तो वह विश्वविद्यालय की टीम में चयनित नहीं समझा जायेगा।
(8) आयोजन सचिव/ आयोजन सचिव द्वारा नामित सदस्य द्वारा प्रपत्रों की जाँच के दौरान निम्न बातों पर विशेष ध्यान देंगे–
(क) इलिजिविल्टी पर खिलाड़ी का अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से पूरा एव स्पष्ट नाम लिखा हो यदि हिन्दी में हो तो स्पष्ट अक्षरों में।
(ख) खिलाड़ी के पिता एवं माता का पूरा नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो।
(ग) खिलाड़ी के पत्र व्यवहार का पूरा पता स्पष्ट रूप से लिखा हो।
(घ) खिलाड़ी की कक्षा (जिसमें अध्ययनरत हो या जिसकी परीक्षा दिया हो उसका सत्र और परीक्षाफल घोषित न हुआ हो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए)।
(च) जिस खिलाड़ी ने इण्टर मीडिएट परीक्षा सन् 2010 या उसके बाद उत्तीर्ण किया हो वही खिलाड़ी उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा।
(छ) जिस खिलाड़ी की आयु 01 जुलाई, 2016 को 28 वर्ष से कम है (अधिकतम 7 वर्ष तक) वही प्रतियोगिता में भाग ले सकता है एवं बास्केटबाल तथा फुटबाल के खिलाड़ी की अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है।
(ज) खिलाड़ी के वर्तमान सत्र के परिचय पत्र का जॉच करना, फोटो पर प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर एवं सील होना आवश्यक है। परिचय पत्र पर किसी प्रकार की ओवर राइटिंग कटा–पिटा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आयोजक महाविद्यालय /विश्वविद्यालय द्वारा आपत्ति उठाई जाती है और टीम प्रबन्धकों को काफी कठिनाई होती है।
(9) ए0आई0यू0 नई दिल्ली द्वारा प्रेषित संशोधित इलिजिविल्टी नियम अंग्रेजी में टंकित प्रति संलग्न है। यही नियम अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में लागू होंगे। इन्हीं नियमों का पालन वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय की अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में भी किया जाना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त पात्रता नियमों के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रमाण प्राप्त होता है तो वे इसकी सूचना सम्बन्धित टीम मैनेजर को देंगे।
(10) टीम के कोच एवं मैनेजर दोनों एक ही महाविद्यालय के प्राध्यापक नहीं होगें। टीम का कोच विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद द्वारा नामित किया जायेगा।

(विपिन चन्द्र अस्थाना)
सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

एथलेटिक प्रतियोगिता–(पुरूष / महिला) 2016–2017 (मानक)			
क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	पुरूष वर्ग	महिला वर्ग
1	100 Mts.	11.26 Sec	12.62 Sec
2	200 Mts.	22.72 Sec	25.73 Sec
3	400 Mts	50.60 Sec	57.88 Sec
4	800 Mts.	1:59:02 Min	2:21.90 Min
5	1500 Mts	4:09:90 Min	4:50.14 Min
6	5000 Mts.	15:23:31 Min	18:50:61 Min
7	10000 Mts.	33:22:32 Min	40.39 :71Min
8	110 Mts. Hardil	15.39 Sec	15.92 Sec
9	400 Mts. Hardil	55.07 Sec	1:07.74 Sec
10	20 K.M. Walk/5KM Walk	1 : :39 :15.5 Sec	26:58.8 Sec
11	Long Jump	6.96 Mts.	5.32Mts.
12	High Jump	1.95 Mts.	1.55 Mts.
13	Triple Jump	14.18 Mts	12.23 Mts.
14	Pole Vault	4.20Mts.	2.60 Mts.
15	Shot Put	15.69 Mts.	11.09 Mts.
16	Discus Throw	45.71 Mts	37.01 Mts
17	Jawelin Throw	66.96 Mts.	38.57 Mts.
18	Hammer Throw	52.58 Mts.	42.94 Mts.
19	Decathlon/Heptathlon	5333 Points	3860 Points
20	Half Marathon	1:10.51.00 Hour.	1:29.34.00 Hour.

बाक्सिंग भार वर्ग	
Light Fly Weight	
Fly Weight	
Bantam Weight	
Featger Weight	
Light Weight	
Light Welter Weight	
Welter Weight	
Middle Weight	
Lt Heavy Weight	
Heavy Weight	
Sp Heavy Weight	
ताइक्वाण्डो पुरूष	ताइक्वाण्डो महिला
54 kg	46 kg
58 kg	49 kg
62 kg	55 kg
68 kg	59 kg
74 kg	63 kg
80 kg	67 kg
87 kg	72 kg
Above 84 kg	Above 72 kg

कुश्ती (पुरूष) फ्री स्टाइल			कुश्ती (पुरूष) ग्रीको रोमन		कुश्ती (महिला) फ्री स्टाइल		जूडो
1	Up to	57 K.Gr.	Up to	48 K.Gr.	Up to	59 K.Gr.	56 K.G.
2	Up to	61 K.Gr.	Up to	53 K.Gr.	Up to	66 K.Gr.	60 K.G.
3	Up to	65 K.Gr.	Up to	55 K.Gr.	Up to	71 K.Gr.	66 K.G.
4	Up to	70 K.Gr.	Up to	58 K.Gr.	Up to	75 K.Gr.	73 K.G.
5	Up to	74 K.Gr.	Up to	60 K.Gr.	Up to	80 K.Gr.	81 K.G.
6	Up to	86 K.Gr.	Up to	63 K.Gr.	Up to	85 K.Gr.	90 K.G.
7	Up to	97 K.Gr.	Up to	69 K.Gr.	Up to	98 K.Gr.	100 K.G.
8	Above	97 K.Gr.	Above	75 K.Gr.	Above	98 K.Gr.	open

भारोत्तोलन (पुरूष)			भारोत्तोलन (महिला)		पावर लिफ्टिंग (पुरूष)		पावर लिफ्टिंग (महिला)		शरीर सौष्ठव
क्र. सं.	भार वर्ग	स्नैच क्लीन एण्ड जर्क	भार वर्ग	स्नैच क्लीन एण्ड जर्क	भार वर्ग	स्क्वैट बेंचप्रेस डिड	भार वर्ग	स्क्वैट बेंचप्रेस डिड	
1	56 K.G.	190 kg.	48 K.G.	117 kg.	59 K.G.	527.5 kg.	47 K.G.	267.5 kg.	60 K.G.
2	62 K.G.	200 kg.	53 K.G.	113 kg.	66 K.G.	545 kg.	52 K.G.	282.5 kg.	65 K.G.
3	69 K.G.	230 kg.	58 K.G.	143 kg.	74 K.G.	535 kg.	57 K.G.	257.5 kg.	70 K.G.
4	77 K.G.	245 kg.	63 K.G.	121 kg.	83 K.G.	600 kg.	63 K.G.	232.5 kg.	75 K.G.
5	85 K.G.	240 kg.	69 K.G.	130 kg.	93 K.G.	675 kg.	72 K.G.	335 kg.	80 K.G.
6	94K.G.	250 kg.	75 K.G.	135 kg.	105 K.G.	682.5 kg.	84 K.G.	232.5 kg.	85 K.G.
7	105 K.G.	239 kg.	+75 K.G.	144 kg.	120 K.G.	540 kg.	+84 K.G.	312.5 kg.	90 K.G.
8	+105 K.G.	261 kg.			+120 k.G.	515 kg.			+90 K.G.

(विपिन चन्द्र अस्थाना)
सचिव

ELIGIBILITY CERTIFICATE

Proforma for forwarding the name of the player to participate
In the Inter Collegiate Tournament 2016-2017

1. Name of the college ……………………………………………………
   (in Block letter) ……………………………………………………
2. Name of Tournament ……………………………………………………
3. Tournament to be held at ……………………………………………………
4. Name of Player ……………………………………………………
   (in Block letters English)……………………………………………………
   Hindi ……………………………………………………
5. Name of Father ……………………………………………………
6. Name of Mother ……………………………………………………
7. Home address ……………………………………………………
   With mobile No. ……………………………………………………
8. Year of the joining the college……………………………………………………
9. Present session ……………………………………………………
10. Present class ……………………………………………………
11. Result has been declared **Yes/No**
12. Date of Birth ……………………………………………………
13. Year of passing High School ……………………………………………………
14. Year of passing Intermediate ……………………………………………………
15. Scholar Register No. ……………………………………………………
16. Signature of the player in full ……………………………………………………

बिना प्रमाणित फोटो नत्थी करें।गोंद से कदापि चस्पा न करें।

Photograph Attach by Pin

प्राचार्य द्वारा प्रमाणित फोटो चस्पा करें।

Attested by the Principal of the Institution

This is certify that above player is bonafide student of this college and is not employed on full time or part time basic any where and information given above are correct to the my knowledge and belif.

Dated: Signature of player/Athelete/Gymnast etc. to be taken with the presence of oraganizing Secretary and chairman and member of protest committee if a protest has been lodged oraganizing any participation.

Signature of the Principal
(With seal)

For the use Organising Secretary & Selecter

Shri………………………………………………………………of………………..…………………………
(Name of college) Has been selected in the University……………Team & we have checked all entries from his original certificate.

1.Signature of Selector
1………………College

2.Signature of Selector
2………………College

3.Signature of Selector
3…………….. College

4.Signature of Selector
4………………College

5.Signature of Organising Secretary
5. ……………………………College

Note: Organising Secretary is requested to send this proforma to the secretary. Sport Council of the University for record and reference alongwith the list of player of University team.

Secretary

REVISED ELIGIBILITY RULES FOR PARTICIPATION IN INTER-UNIVERSITY TOURNAMENTS

A Eligibility Rules

1. Only bonafide, full time student, who is enrolled for a degree or post-degree or diploma course which is of a minimum duration of one academic year and whose examination is conducted by the university subsequent to passing the 12th class examination under the 10+2 pattern of education by a recognized Board of Higher Secondary/Senior Secondary conducted in the country or an equivalent examination shall be eligible to participate in the Inter-University Tournaments approved by the Inter-University Sports Board of India.

1.1 Students of Open Universities shall be considered to be bonafide students and shall be eligible to participate provided they fulfil other conditions. However, students enrolled in Correspondence Course, Institutes or Universities, casual students, external students and students pursuing Bridge courses shall not be eligible to participate in Inter-University Tournaments

2. All students for participating in the Inter-University Tournaments shall fulfill the following compulsory conditions:

a) Not more than 7 years have elapsed since a student passed the exanimation qualifying his/her for first admission to a degree or diploma course of a university or college affiliated to a university.

b) Only students who are less than 25 years of age as on 1stJuly of the academic year inwhich the tournament is held, can participate.

c) Students can participate for one year more than the normal length of the academic programme which he/she is following/pursuing.

3. A student employed on full time basis shall not be eligible to participate.

4. A student shall not be allowed to represent more than one university during a single academic year.

5 Provisional admission to a course of a university' or college shall not make the student eligible to represent the university in Inter-University Tournaments

6. In the case of a student migrating from one University to another, his/her migration case will be considered eligible only after his/her admission in the new university is regularized and he/she is admitted as a bonafied student by the new University

7.A bonafide and eligible university/college student shall be allowed to participate in Inter-University Tournaments not more than two years in a particular class maintaining the same restriction of participation to a period of one year more than the normal length/duration of a degree/course. For example, not more than four years while pursuing Graduate course degree and not more than three years while pursuing Postgraduate Course/Degree, as the case may be.

8. Interchange of faculty is allowed, provided the student passes the first year of the class/course. If the candidate plays for two years from one class and if he/she changes course for the identical year, he/she shall not be eligible to participate in Inter-University Tournaments unless he/she clears/passes 1st year of his/her new course.

B. Explanation

1. One year means the academic year in which the tournament is held irrespective of whether the student's result is declared or not. It will normally extend from June/July of one year to 12 calendar months to the next Year.

2. The restriction of participation in Inter-University Tournaments to a period of one year more than the length/duration of academic course means that the students pursuing a three-year degree programme (i.e. BA, B Com, BSc etc.) can participate for four years, while a student .pursuing four year programme (i.e. BE, B.Tech etc.) can participate for five years.

C. Disqualifications for violation of Eligibility Rules

1. Any disqualification of a player on grounds of ineligibility will result in the automatic scratching of the team for that academic year. The team shall also be debarred from participating in the tournament (in that game) to be held in the following year.

2. A player disqualified on the grounds of ineligibility shall not be permitted to participate in Inter-University Tournaments in the next year also.

3. Those players, who are selected for the Indian Universities Teams to participate in the National Championships / Tournaments and if, they represent some other organizations without the permission of AIU shall be debarred from participation in the Inter- University Tournaments, Inter College Tournaments and National Championships.

ASSOCIATION OF INDIAN UNIVERSITIES
(Inter University Sports Board of India)

Revised Eligibility Rules for Participation of Students in National University Games: Effective from 2015-2016

A. Eligibility Rules for National University Games:

1. Only a bonafide student, who is currently enrolled / registered for a degree or diploma at the university / college whose status is recognized by the appropriate authority of the country, which is of a minimum duration of one academic year and whose examination is conducted by the university shall be eligible to participate in National University Games and fulfill the following conditions.

2. The students studying in open universities and distance mode are not eligible to participate in the National University games.

3. Foreign students are eligible to participate only in the National Inter-University Tournaments. However, the total number of foreign players in a team should not be more than 10% of the team. However for small teams, where the total number of players is less than 10 members one foreign student can be allowed in the team.

4. All eligible students while participating in National University Games/Championships shall fulfill the following essential conditions:-

   (a) He / She should be less than 28 years of age as on 1st July of that academic year. In case of Basketball and Football the upper age limit is 25 years as per FISU rules.

   (b) Not more than 10 years have elapsed since a student passed the examination qualifying him/ her for first admission to a degree or diploma course of university or college affiliated to a university.

   (c) The ten year eligibility period for participation of students in competitions shall be distributed as under:-

   i. Not more than five years after passing 10+2 or equivalent examination while studying in Under Graduate Courses/Degrees. There are no restrictions for student to change the course or moving from higher class to lower class within the five years.

   ii. Not more than five years after passing Graduate or equivalent examination while studying in Post Graduate Courses/Degrees. There are no restrictions for student to change the course or moving from higher class to lower class within the five years after passing graduate degree. There are no restrictions for student to change the course or moving from higher class to lower class within the five years.

5. A student who is employed on full-time basis shall not be eligible to participate in National University Games/Championships. However, student(s) who are receiving nominal sports stipend from Public or Private Sector(s) are eligible to participate.

6. A student shall not be allowed to represent more than one university in National University Games during a single or same academic year.

7. Provisional admission to a course/degree of university or college shall not make the student(s) eligible to represent the university in National University Games.

8. In the case of a student migrating from one University to another, his/her migration case will be considered eligible only after his/her admission in the new university is regularized and he/she is admitted as a bonafide and eligible student by the new University.

B. Explanation

There is a rule in some universities to admit the students in First year degree course even if the candidate is having re appear/ compartment in +2 examination. Such students are not eligible to participate in the interuniversity tournament until they clear the +2 re appear/compartmental examination. In the same way the candidate who has not cleared the exams in the degree course and joined the first PG course will not be allowed to participate in the Inter-University Tournament until he clears the exams.

21/3/15 21/3/2015 21/3/15

All the students should produce photo copy of the pass certificate of +2 examination, Date of Birth certificate, and in case of PG students, the pass certificate of the Degree course, duly attested by the Director of Physical Education/Secretary Sports Board/Council/Sports officer/Registrar of the concern university along with their eligibility certificate.

The previous period of participation of any player from any university should necessarily be considered at the time of his / her, fresh/ current participation in order to avoid any wrong claim. The academic qualification of such player will be accepted only from that particular university from which he/she participated in inter university competitions earlier.

C. Disqualification:

1. Any disqualification of a sportsperson on the grounds of ineligibility in team games results into automatic scratching of his/her team for that academic year and the university will be penalized with Rs.10000/- each case and the issue will be reported to the Vice-Chancellor of concerned university. In case of individual events, the ineligible candidate be debarred from the participation in any Inter-University Tournament in future and the matter should be reported to the Vice-Chancellor of the concerned University with penalty of Rs.10000/- per each case of ineligible candidate.

2. The host university shall have the power to debar the athletes(s) or scratch the team(s), if found guilty for their involvement in the incidents of violence during National University Games after following due process of independent enquiry and if necessary recommend to the concerned universities to cancel the admission of such defaulting sports persons.

3. Those sportspersons who are tested and found positive on the basis of samples conducted and analyzed by NADA, confirming that banned (doping) was used/consumed for enhancing their athletic performance, shall be debarred from participation in National/International University Games for the period as specified in the Report of National Anti Doping Agency (NADA) with a view to make sports drug free in university sector.

FISU Eligibility Rules for Participation of Students in International University Games

Eligibility Rules for International University Games:

The eligibility criteria for selection of Indian Universities team to participate in the World university and related tournaments will be according to the FISU eligibility rules Published in the website www.fisu.net . The clarification about the FISU eligibility rules can be obtained from the email: championships@fisu.net

The existing FISU rules are as follows:

a. Students who are currently officially registered as proceeding towards a degree or diploma at a university or similar institute whose status is recognised by the appropriate national academic authority of their country.
b. Former students who have obtained their academic degree or diploma in the year preceding the event;
c. Be a national of the country they represent;
d. Be at least 17 and less than 28 years of age on January 1st in the year of the event. In case of Basketball and Football the upper age limit is 25 years.

Further, the FISU has clarified that there is no restriction on the students who are studying in Open University system or Employed ; provided they fulfill the above four conditions.

Hence, the eligibility criteria for the candidates attending the selection trails for the Indian University Team Selections for the World University Championship will be as per FISU rules only. The restrictions imposed in the eligibility rules for participation of students in the National University Games are not applicable in case of the participants in the World Universiade / World University Championships / Asian University Championships.

21/3/15 21/3/15
21/3/2015